न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 243/2021 (2021/537)

1.अम्बाशंकर पुत्र श्री हरदेव रेगर जाति रेगर निवासी कोहडा तह. केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री नवल किशोर पारीक– वकील प्रार्थी
तहसीलदार केकड़ी (पैरोकार सरकार)– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। जिसमे प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार हैः–

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवन्यू एक्ट के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी सवंत् 2071–76 के खाता सं. 6 मे दर्ज खसरा नंबर 373रकबा 0.38है. प्रार्थी के खाते मे दर्ज है वादी स्वयं खातेदार कृषक है वादी के नाम दर्ज खसरा नं. 373 मे पडौसी खातेदार आये दिन आराजी की सीमाओं को लेकर कब्जे काश्त मे लडाई झगडे व कहा सुनी करते रहते है तथा गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है जिसके कारण वादी अपनी आराजी की पथरगढ़ी कराना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया प्रतिवादी,आज दिनांक को उपस्थित हुये। जिसमे वादी व प्रतिवादी को सुना गया। वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु नकल जमाबंदी संवत् 2071–76 खाता नं. 6 व नक्शा ट्रेश की छायाप्रति पेश कि है जिसके मुताबित प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रतिवादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी की है जिससे राज हित प्रभावित नहीं होता।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी के हाल खसरा नंबर 373 रकबा 0.38है. की आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करवाने पर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी, दक्ष कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:20 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(... विधिक सेवा समिति)
(... अजमेर)

...यिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
...का विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner